न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 06/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00018

उनवान

1. श्यामा पुत्र श्री चिरंजी जाति जाट निवासी जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर(मृतक)
2. नारायन सिंह
3. राम सिंह उर्फ हन्नी
4. टीकम

पुत्रगण स्व0 बाबू जाति जाट निवासी जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

रामवती पत्नी चरन सिंह जाति जाट निवासी जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 18.12.2017 उनवानी श्यामा आदि बनाम रामवती मु0न0 38/2009

अभिभाषक :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री लोकेन्द्रनाथ चतुर्वेदी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 05.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थीगण की ओर से रैस्पो0/अप्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आर. टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी कुल किता 22 रकवा 42 बीघा 13 विस्वा, अपीलाण्ट/प्रार्थीगण एवं रैस्पो0/अप्रार्थी व राजेश नवल सिंह व मृतक भगवान सिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। भगवान सिंह की मृत्यु हो चुकी है, उसके कोई पत्नि व बच्चे नहीं है। अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी में कोई वारिस जीवित नहीं है। अपीलाण्ट/प्रार्थीगण व रैस्पो0/अप्रार्थी व राजेश, नवल सिंह मृतक श्री भगवान सिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैं। मृतक भगवान सिंह की सेवा अपीलाण्ट/प्रार्थीगण व रैस्पो0/अप्रार्थी मिलकर करते थे तथा उसके हिस्से की आराजी को भी मिलकर करते थे। किन्तु रैस्पो0/अप्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई है, वह फर्जी कागजात तैयार करवाकर व राजस्व कर्मचारियों से सॉठ–गॉठ कर, विवादित आराजी को अपने नाम कराना चाह रही है। अगर रैस्पो0/अप्रार्थी अपने उपरोक्त उद्देश्य में सफल हो गयी तो अपीलाण्ट/प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना ही, निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया। रैस्पो0 अधिवक्ता को आपत्ति नहीं। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय नियम विपद्ध कानून विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल मंसूखी है। चिरंजी के तीन पुत्र मूला, श्यामा, भगवान सिंह की मृत्यु निसंतान व पत्नी विहिन हो चुकी है उनके 3/5 हिस्से को अपीलाण्ट संख्या 02 लगायत 5 में समभाग उत्तराधिकार में प्राप्त किया है एवं शेष 1/5 हिस्से को स्व0 चरन सिंह से उसकी विधवा, पुत्र राकेश व नवल सिंह व पुत्री सन्तो वारिसान होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित हो रहा है कि विवादित आराजी मुतनाजा में अपीलाण्ट वृहद भाग 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। मौके पर रैस्पो0 का विवादित आराजी के किसी भाग पर भौतिक कब्जा काश्त नहीं है वह केवल 1/4 हिस्सा पर गलती से खातेदार दर्ज हो गयी है। रैस्पो0 मृतक भगवान सिंह की पत्नी नहीं है वह स्व0 चरन सिंह की विवाहिता पत्नी रही है। किन्तु अब वह भगवान सिंह के यहॉ ठौर बैठ जाने बाबत् कथन कर रहीं है, जो मनगढन्त व बनावटी कथन है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने के कोई कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किये हैं अतः आदेश पूर्ण वर्णित आदेश नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, रैस्पो0 को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। रैस्पो0 चरन सिंह की पत्नि नहीं है बल्कि मृतक भगवान सिंह की वेवा है। चरन सिंह की मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक भगवान सिंह जो कि चरन सिंह का छोटा भाई था उसकी शादी नहीं हुई थी, गॉव के पंच पटैलो व रिश्तेदारो ने मिलकर रैस्पो0 व मृतक भगवान सिंह की सहमति से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पुनः विवाह हुआ। इस प्रकार रैस्पो0 मृतक भगवान सिंह की पत्नि हुई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

और भगवान सिंह के जीवन काल से ही उसकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति पर लगभग 18 साल से बदस्तूर भगवान सिंह के हिस्से की आराजी पर काश्त करती चली आ रही है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। रैस्पो0 का कोई पुत्र नहीं होने के कारण अपीलाण्ट के मन में बेइमानी आ गयी है एवं रैस्पो0 जो कि एक अकेली वेवा महिला है, का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। जिसका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। विवादित आराजी बाबत् उभयपक्ष परस्पर विरोधी दावा कर रहे हैं, इन परस्पर विरोधी दावो के बीच स्वत्व का निर्धारण, विस्तृत साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर वाद में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रेकार्ड व मौके की, पक्षकारान द्वारा यथास्थिति रखना निरापद है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी रूपवास का निर्णय दिनांक 18.12.2017 अपास्त किया जाकर, विवादित भूमि को ता निर्णय वाद, हस्तांतरण नहीं करने की पाबन्दी आयद की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official